उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-22/2026/421के-2/22-3-25-17(526)/21

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी उर्मिला सिंह (बन्दी संख्या-37/19) पत्नी श्री रामगोपाल सिंह, निवासिनी-लोहारी, थाना-गजनेर, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-298/2015 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (14वां वित्त आयोग), कानपुर देहात के आदेश दिनांक 25-01-2019 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15-08-2021 तक भोगी गई 05 वर्ष, 09 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा, अच्छा जेल आचरण होने व रजिस्टर नं0-1 के अनुसार दिनांक 15-08-2021 तक आयु 57 वर्ष तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गई संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त महिला बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर महिला बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।